



**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)**  
**पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :-190/2015**

**बउनवान**

रामनारायण पुत्र मोडू जाति मेघवाल निवासी बड़ां तहसील बारां जिला बारां  
(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- श्री पिकेश जगरवाल अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 30.1.2018**

अपील न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा अंतरित की गई है। अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के प्रकरण संख्या 1252/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2015 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बड़ां की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 1408 की रकबा 0.40 है। भूमि पर फसल सोयाबीन काशत कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 200/- रुपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 10.11.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही अवलोकन नहीं कर निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को तामील नहीं करवाई गई है। न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट को ना तो जवाबदेही का अवसर मिला और न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया तथा हल्का पटवारी से जिरह भी नहीं हो सकी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर ना कर अपीलांट को एकतरफा कार्यवाही करते हुये सजायाब किया गया है, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है। केवल मात्र हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर सजायाब फरमाया गया है। अपीलांट ने न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा किया गया जुर्माना जमा करवा दिया है और सरकारी भूमि से कब्जा भी छोड़ दिया है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रमण छोड़ा जाना पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.11.2017 से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर

पारित किया है, जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में आता है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांत द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सोयाबीन काशत कर अतिक्रमण किया है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांत द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र. सं. 469/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2014 की पालना में बेदखल किया गया था जो बयान पटवारी एवं रिपोर्ट से प्रमाणित है। अपीलांत द्वारा पुनः सम्वत् 2072 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा बहाल रखी जाकर अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, हम परोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1252/2015 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 26.10.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( वासुदेव मालावत )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारां